

प्रेस नोट जनपद बलिया

दिनांक- 04.06.2021

थाना रसड़ा जनपद बलिया पुलिस द्वारा अन्तरप्रांतीय 15,000/- का इनामिया पशु तस्करी से सम्बन्धित मुकदमे का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना रसड़ा क्षेत्र में दिनांक 29.01.2021 को उ०नि० श्री शंकर यादव द्वारा *अभियुक्त मोछू उर्फ किशन उर्फ कृष्णा यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव सा० भरौली थाना नरही जनपद बलिया* व इसके अन्य साथियों के साथ चोरी की पीक-अप पर नम्बर प्लेट बदलकर अन्तरप्रांतीय गो तस्करी जैसी अपराधिक घटना में संलिप्तता पाये जाने पर मु०अ०सं० 22/2021 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग थाना रसड़ा जनपद बलिया पर पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में *अभियुक्त किशुन देव पुत्र सीताराम निवासी गुरवा चितबड़ा गांव को मौके से पकड़ लिया गया था घटना के समय मोछू उर्फ कृष्णा यादव उपरोक्त भाग गया था* जिसकी तलाश पुलिस को काफी समय से प्रयासरथ थी तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रत्र सं०- डी०सी०आर०बी० पु०घो०अ०/2021 के अनुसार 15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया डॉ० विपिन ताडा महोदय के आदेश के अनुपालन में अपराध नियंत्रण व वांछित तथा इनामिया अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय कुमार व श्रीमान क्षेत्राधिकारी रसड़ा महोदय श्री एस. एन. वैस के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय की गठित टीम द्वारा *अभियुक्त मोछू उर्फ किशन उर्फ कृष्णा यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव सा० भरौली थाना नरही जनपद बलिया* जो मु०अ०सं० 22/2021 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 420, 467, 468, 471 भादवि में वांछित तथा जनपद बलिया का 15000/- रुपये का अन्तरप्रांतीय इनामिया अभियुक्त को दिनांक 03.06.2021 की रात्रि 21.05 बजे रामनगर नहर तिराहा पुलिस से मुखबीरी सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की मौके पर तलाशी से उसके पास से 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त से नाजायज असलहा रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सका जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 157/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोछू उर्फ किशन उर्फ कृष्णा यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव सा० भरौली थाना नरही जनपद बलिया

बरामदगी का विरण-

1. 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान /दिनांक /समय-

1. रामनगर नहर तिराहा पुलिया / दिनांक 03.06.2021/समय 21.05 बजे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक रसड़ा बलिया
2. उ0नि0 पंकज कुमार सिंह चौकी प्रभारी सवराँ थाना रसड़ा जनपद बलिया
3. हे0का0 अरविन्द तिवारी थाना रसड़ा बलिया
4. का0 अनन्त कुमार थाना रसड़ा बलिया

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 22/2021 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 420, 467, 468, 471 भादवि थाना रसड़ा बलिया
2. मु0अ0सं0 157/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसड़ा बलिया
3. मु0अ0सं0 81/19 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि व 3(1) SC/ST Act. थाना नरही जनपद बलिया

सोशल मीडिया सेल

जनपद बलिया

